



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 80-2023/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 1 मई, 2023
(वैशाख 11, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या सांका०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 01 मई, 2023— हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2023.	109—110
भाग-IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मई, 2023

संख्या सांका०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2023.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में, नियम 1 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) ये नियम 9 अगस्त, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे।”।

राजेश खुल्लर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 1st May, 2023

No. G.S.R. 11/Const./Art.309/2023.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Voluntary State Education Service (Amendment) Rules, 2021, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Voluntary State Education Service (Amendment) Rules, 2023.
2. In the Haryana Voluntary State Education Service (Amendment) Rules, 2021, in rule1, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 9th August, 2017.”.

RAJESH KHULLAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
School Education Department.